



प्रेषक,

राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून: दिनांक: १० अक्टूबर 2013

महोदय,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विनिन्न बी०ए० संस्थानों द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिकाये दायर की गयी है, जिनमें कठिपथ संस्थानों को बिना विलम्ब के अस्थायी (provisional) सम्बद्धता प्रदान किये जाने के अन्तरिम आदेश दिनांक 10.07.2013, 11.07.2013, 18.07.2013, 30.07.2013, 06.08.2013 तथा 04.09.2013 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 12-09-2013 एवं पत्र दिनांक 08 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रेषित आख्या / संस्तुति के आलोक में मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप प्रश्नगत निम्नांकित संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि प्रकरणों में मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी। तत्काल में कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय से प्राप्त संस्तुति के क्रम में आपसे यह लहने का निदेश हुआ है कि महाभिग कुलाधिपति द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अधीन निम्नांकित संस्थान / कालेज को रत्नम-3 में वर्णित पाठ्यक्रम में रत्नम-4 पर वर्णित अवधि के लिये अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्थीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :-

क्र०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
1.	ट्रिनिटी इन्स्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज। रिट्याचिका स० 1191 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
2.	स्वामी विवेकानन्द प्राइवेट कालेज आफ मैनेजमेन्ट। याचिका 1206 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
3.	जय अरिहन्त कालेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, हल्दूचौड। याचिका 1190 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
4.	जय अरिहन्त एकेडमिक इन्स्टीट्यूट, हल्दूचौड। रिट याचिका 1189 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
5.	वजाज कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैचनोलॉजी। याचिका 1192 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
6.	पूर्णांगीरी कालेज आफ एजुकेशन, खटीमा। याचिका 1197 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
7.	आर०एल०ए० मैमोरियल डिग्री कालेज, जसपुर, ऊधमरिहनगर। याचिका 1196 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
8.	हरदेव सिंह स्मारक कालेज, जसपुर, ऊधमसिंहनगर। याचिका 1195 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
9.	श्रीराम इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, काशीपुर। याचिका स० 1194 एम०ए० सो 2013	बी०ए० (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

10.	श्री रॉई शिक्षण संस्थान, जसपुर, उधमसिंहनगर। याचिका 1193 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
11.	द्रोण बी0एड0 कालेज फार बुमैन, दिनेशपुर, रुद्रपुर। याचिका 1199 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
12.	द्रोण बी0एड0 कालेज, दिनेशपुर, रुद्रपुर। रिट याचिका 1198 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
13.	आम्रपाली इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स, शिक्षा नगर, हल्द्वानी। रिट याचिका 1212 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
14.	प्रेजेन्टेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, काठगोदाम (हल्द्वानी) रिट याचिका 1238 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
15.	जो0एन0 काल इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन, नैनीताल। रिट याचिका 1237 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (60 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
16.	एल0बी0एस0एस0 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जसपुर। रिट याचिका 1243 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
17.	मरियम इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज एण्ड एप्लाईड कोर्सेस, बरेली रोड, हल्द्वानी। रिट याचिका 1239 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
18.	एलकैमिस्ट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन। रिट याचिका 1244 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
19.	इन्स्परेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पॉलीशीट, काठगोदाम, नैनीताल। रिट याचिका 1240 एमएस आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
20.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर बुमैन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर रिट याचिका 1262 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
21.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कच्ची खमरिया, पो0 लालपुर, रुद्रपुर रिट याचिका 1261 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
22.	देवभूमि कॉलेज ऑफ एजुकेशन चूनाभट्टा रोड, बनवासा, घम्यावता। रिट याचिका 1260 एम0एस0 आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

23.	सरस्वती इन्स्टीट्यूट आफ मैनेज एण्ड टैक्नोलॉजी प्रदान कर याचिका 1264 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
24.	डॉ सुशीला लिवारी प्राइवेट बी0एड0 कालेज, सितारगाज, उधमसिंहनगर। रिट याचिका 1270 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
25.	श्री गुरुनानक डिग्री कालेज। रिट याचिका 1300 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
26.	काशीपुर कालेज आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1625 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
27.	केशव सूर्यमुखी कालेज आफ एजुकेशन। रिट याचिका 1626 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
28.	शहीद कौर डी0के0 खाला कालेज आफ एजुकेशन। याचिका 1624 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
29.	सल्ट इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट बनाम राज्य एवं अन्य। रिट याचिका 1741 (M/S) of 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
30.	श्री गुरुनानक प्राप्त कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नानकगढ़ता याचिका सं0 1740 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
31.	सूरजमल अग्रवाल प्राप्त कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किंचन्या याचिका सं0 1739 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु
32.	घन्द्रावती तिवारी गल्टे डिग्री कालेज, काशीपुर याचिका सं0 1742 एमएसओ आफ 2013	बी0एड0 (100 सीट प्रवेश क्षमता)	शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु

- उक्त संस्थानों को एतदद्वारा प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता सम्बन्धित संरथान द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- इसी मध्य सभी प्रकरणों का पृथक से परीक्षण किया जायेगा तथा भावी अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में निर्णय या कार्यवाही उसी आधार पर सुनिश्चित की जायेगी।
- निर्धारित मानकों की पूर्ति व अहं फैकल्टी की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में कुमाऊँ विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थानों का अपने स्तर से समय-समय पर अनिवार्यत निरीक्षण किया जाता रहेगा। यदि संस्थानों के मानकों का पूर्ण न होना पाया जाता है तो ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिये संस्तुति/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मानकों में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता वर्ती जाती है तो शासन द्वारा सम्बन्धित कार्मिक/समझ अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अनल में लायी जायेगी।
- संरथान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संचालित पाठ्यक्रम, अवस्थापना सुविधाएं, शैक्षिक-शिक्षणोत्तर फैकल्टी की शैक्षिक अहंता, उत्तीर्ण परीक्षाफल एवं प्राप्तांक प्रतिशत, फैकल्टी अंकपत्रों की प्रतियाँ, फैकल्टी की अद्यतन फोटो सहित फैकल्टी को भासिक वेतन भुगतान का विवरण अपलोड किया जायेगा।
- यदि किसी भी स्तर पर शासन के संज्ञान में आता है कि उक्त संरथान में संचालित पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की संस्तुति तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तावक द्वारा की गई है तो इसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित दल/संरथान का होगा तथा संरथान की सम्बद्धता समाप्त किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संरथान/कालेज को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

6— संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय, शासन, एवं महामहिम कुलाधिपति के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

7— संस्थान में मानक के अनुसार अहं फैकल्टी नियुक्त होने के पुष्टि समय—समय पर विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि फैकल्टी पूर्ण न किये जाने का मानक किसी संरथा द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है तो उक्त वर्षों में उसकी सीटें उपलब्ध फैकल्टी के अनुसार अनुमत्य की जायेगी।

8— संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

9— छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

10— यदि संस्थान द्वारा कुलाधिपति/शासन के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों प्रारम्भ करने के लिए दी गई अनापत्ति को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

11— संस्थान के कार्यरत फैकल्टी के सदस्यों का येतन का भुगतान वैक में फैकल्टी के सदस्यों के नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय—समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी संरथा द्वारा पूर्ण फैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी संतुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के सम्बन्धित पाठ्यक्रम को रोके जाने हेतु तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

12— संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी० को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।

13— संस्थान द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इसकी पुष्टि की जानी होगी। अन्यथा आगामी अस्थाई सम्बद्धता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौड़ियाल)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या- 2112 (1)/जी०एस०/शिक्षा/A3-22/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— महानिवन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3— कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
- 4— निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, निकट मानसरोवर स्टेडियम मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान।
- 5— निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी।
- 6— प्रबन्ध/सचिव, सम्बन्धित संस्थान।
- 7— संस्थान की सम्बन्धित पत्रावली/कम्प्यूटर प्रक्रोच/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(धनश्याम शर्मा)
कुलाधिपति के अनुसचिव।